न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

45 / 2022

श्री राजेन्द्र जाट एडवोकेट निवासी जिला एवं सैशन न्यायालय परिसर टोंक राज0
--अपीलार्थी

वनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 08.12.2022**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 28.09.2022 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः-

नामान्तकरण संख्या 3029 दिनांक 15.09.2022 ग्राम पराना तहसील व जिला टोंक की प्रमाणित प्रति मय समस्त दस्तावेज।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को पत्र कमांक 1580 दिनांक 7.11.2022 व 1598 दिनांक 14.11.2022 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक ने उनके पत्र कमांक भू.अ./2022/12897 दिनांक 21.11.2022 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अपीलार्थी को उनके पत्र कमांक 12259 दिनांक 21.10.2022 से सूचना के संबंध में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:59:44 IST
Reason: SelfAttested